

प्रेषक,

सुमाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

रोवा मे,

अपर प्रमुख वन रांक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन रांक्षण, फारेस्ट कालोनी,
इन्द्रिनगर, देहरादून।

वन अनुमान-3

विषय: जनपद नैनीताल के अंतर्गत नैनीताल-कालादुंगी मोटर मार्ग के किमी 0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य के निर्माण हेतु 0.495 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1751/FP/UK/ROAD/8979/2016, दिनांक 20 जनवरी, 2020 के सन्दर्भ में गुज्जे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक रूपीकृति आदेश संख्या-785/एक्स-4-16/1(224)/2016 दिनांक 02.11.2016 में अधिरोपित शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल गहोदय जनपद नैनीताल के अंतर्गत नैनीताल-कालादुंगी मोटर मार्ग के किमी 0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य के निर्माण हेतु 0.495 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक रिथ्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उव्वत् भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, सरथा अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बद्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन राम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बद्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर. जो पूर्णतया अनिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर वाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक वनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथारिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को विना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के संसाधन अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन विभाग तथा उसके अधिकारीओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक राम्पदे, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रतावित मोटर मार्ग, के दोनों ओर रिक्त पड़े रथानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत यथोचित वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उनका रखरखाव किया जायेगा।
9. मा 0 उच्चतम् न्यायालय/भारत राजकार द्वारा यदि भविष्य मे एन०पी०वी० की वर्तमान दरों मे वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० की वटी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथारामय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को रथानान्तरित किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य तल की रास्तुतियों एवं गू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आरा-पारा के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण मे कार्यस्थ गजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतावित स्थल/वन क्षेत्र के आरा-पारा मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतावित वन भूमि के अतिरिक्त आरा-पारा की वन भूमि से राडक निर्माण के दौरान गिराई/पत्थर काटने एवं गर्ने का कार्य नहीं किया जायेगा।

15. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निरतारण चिह्नित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निरतारित नहीं किया जायेगा।
16. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निरतारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को रथानान्तरित कर दिया गया है।
18. यदि कोई अन्य रावधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन राक्षण्य प्राधिकारी की अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।
19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों/वन भूमि के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
20. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमाकरण करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing अंकित किया जाय।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
 (सुभाष) चन्द्र
 अपर सचिव।

संख्या: (1) / X-3-20/1(224)/2016, तददिनांकित।
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० विधायक, संवधित विद्युत विभाग क्षेत्र।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, जनपद—नैनीताल।
6. प्रभागीय वनाधिकार, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
8. जिला पंचायत अध्यक्ष, नैनीताल।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड संविवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

उपर्युक्त संस्करण से नोडल जारी।
 भवदीय भूमि सर्वेक्षण निदेशात्मक उत्तराखण्ड
 देहरादून
 दिनी० सं० ५६६६
 वनादली० ८१९
 तिथि १५-३-२०२०

आज्ञा से,
 (सत्यप्रकाश सिंह)
 उप सचिव।